

राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण

इन्दिरा गांधी नहर भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

दूरभाष : 0141-2385736 ईमेल : centrbrwtpa@gmail.com

क्रमांक : 1155

दिनांक : 12/4/18

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

विषय : राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण कार्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में डीजल टैक्सी वाहन किराये पर लेने बाबत।

राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों में वर्णित शर्तों एवं दरों पर कार्यालय उपयोग हेतु सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से सेवाएं उपलब्ध कराने के इच्छुक व्यक्ति/फर्मों की सूची तैयार करने हेतु संलग्न प्रोफार्म में सूचना आमंत्रित की जाती है :-

| क्र.सं. | सेवा का विवरण | अनुमानित संख्या | विवरण |
|---------|------------------------|-----------------|--|
| 1 | डीजल टैक्सी वाहन (कार) | 12 (अधिकतम) | वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9 (1)FD.1(1) Budget/ 2015 Dated 15.07.2015 में वर्णित शर्तों एवं दरों पर |

इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपना विवरण प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 19.04.2018 सायं 6.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राधिकरण, इच्छुक फर्मों द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण में से सेवायें प्राप्त करने को बाध्य नहीं है।

मुख्य शर्तें :-

1. प्रदत्त किये जाने वाले वाहनों का पंजीयन टैक्सी नम्बर का होना आवश्यक है।
2. वाहन का पंजीयन राजस्थान यातायात/परिवहन विभाग द्वारा होना आवश्यक है।
3. वाहन छः वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा वाहन सही अवस्था में होना आवश्यक है।
4. वाहन चालक के पास वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
5. वाहन चालक कुशल, योग्य, शिक्षित एवं सभ्य होना चाहिए।
6. वाहन सेवा की सामान्य शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9(1)FD.1(1)Budget/2015 Dated 15.07.2015 एवं यथा संशोधित के अनुसार होगी।


12.4.18
(मदन सिंह काला) IAS

आयुक्त

राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल

संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक : 12/4/18

क्रमांक : 1156-60
प्रतिलिपि :-

1. श्री धर्मेश कुमार, अधिशाषी अभियंता एवं नोडल अधिकारी (वेबसाइट) को विभाग वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
2. अधिशाषी अभियंता (प्रशासन) कार्यालय हाजा।
3. सहायक अभियंता, वाहन पूल कार्यालय हाजा।
4. रक्षित पत्रावली
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।


12.4.18
आयुक्त

राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल

संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण
इन्दिरा गांधी नहर भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर
ई-मेल- cerbwrpa@gmail.com फोन नम्बर- 0141-2385736

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.07.2015 में वर्णित शर्तों एवं दरों पर डीजल टैक्सी वाहन किराये पर लगाने हेतु विवरण ।

| क्र. सं. | विवरण | फर्म/संस्था द्वारा भरा जाना है |
|----------|---|--------------------------------|
| 1 | फर्म/संस्था का नाम | |
| 2 | फर्म/संस्था का अधिकृत पता / मोबाईल नं. / ईमेल आई.डी. / | |
| 3 | फर्म/संस्था का पैन कार्ड नं.(प्रति संलग्न करें।) | |
| 4 | फर्म के मुख्य कार्यकारी का नाम | |
| 5 | फर्म के मुख्य कार्यकारी का अधिकृत पता / मोबाईल नं. / ईमेल आई.डी | |
| 6 | फर्म/संस्था/पंजीयन का विवरण (किसी भी सक्षम राजकीय ऑथोरिटी से जारी कियाहुआ) (प्रतिसंलग्न करें) | |
| 7 | फर्म का जी.एस.टीरजिस्ट्रेशन नम्बर(प्रति संलग्नकरें) | |
| 8 | फर्म/संस्था के बैंक खाते काविवरण (प्रति संलग्नकरें।) | बैंक का नाम |
| | | शाखा का नाम |
| | | खाता संख्या |
| | | आई.एफ.एस.सी. कोड |
| | | शाखा का कोड |
| 9 | विगत वर्षों में इस प्रकार के किए गए कार्य का विवरण (दस्तावेज संलग्न करें) | |
| 10 | किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का पूर्ण विवरण मय दस्तावेज संलग्न करें। | |
| | (अ)फर्म के मालिकान हक में उपलब्ध वाहनों की संख्या एवं पूर्ण विवरण | |
| | (ब) अनुबन्ध पर अन्य से लिये जाने वाले वाहनों की संख्या एवं पूर्ण विवरण | |
| | (स) प्रत्येक वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र मय मॉडल वर्ष | |
| | (द) प्रत्येक वाहन का बीमा प्रमाण पत्र | |
| | (य) प्रत्येक वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र | |
| | (र) वाहन चालक के वैध वाणिज्यिक लाईसेंस की प्रति | |

फर्म/संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर